न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल त्यागी R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 054 / 2019 निर्णय दिनांक :– 11.03.2022

उनवानी दावा :

1. राधेश्याम पुत्र बालू जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. बाबूलाल पुत्र बालू जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. किशनी देवी पत्नि बालू जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रूपनारायण पुत्र दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. कमलेश पुत्र दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. माया पुत्री दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सुगना पत्नि दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. ममता पुत्री दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. रामनारायण पुत्र नन्दराम जाति लोधा उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. श्योजी पुत्र भूरा जाति लोधा उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री राजेश जैन
अधिवक्ता वादी

पेरोकार सरकार
इकबालिया जवाब
प्रतिवादी संख्या 1 व 2

वाद उदघोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा पेश वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खाता संख्या 394 ख0नं0 828 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 829 रकबा 0.08 है0, ख0नं0 830 रकबा 0.09 है0, ख0नं0 834 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 835 रकबा 0.18 है0, ख0नं0 836 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 837 रकबा 0.28 है0 वाके तनग्राम

राजमहल पटवार हल्का राजमहल तहसील देवली जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज छीतर पुत्र जगन्नाथ का नाम राजस्व कर्मचारियों ने लापरवाही पूर्वक छीतर पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर गीला पुत्र जगन्नाथ दर्ज कर दिया गया जो कि गलत है। जबकि पुराने राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज छीतर का सही नाम अंकन चला आ रहा है तथा अन्य खातेदारी की भूमियों में भी सही नाम छितर दर्ज चला आ रहा है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा की गई उक्त त्रुटि के कारण वादीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा वादीगण कई सरकारी योजनाओं के लाभ से लाभान्वित नही हो पा रहे है। इस त्रुटि को दुरूस्त करवाने हेतु कई वादीगण ने प्रतिवादी 3 को प्रार्थना पत्र दिये है। लेकिन आज तक छीतर का नाम दुरूस्त नही किया गया है। इस कारण वाद वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पूर्वज छीतर वादी का नाम गीला के स्थान पर छीतर दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे एवं छीतर के नाम की उद्घोषणा की जावें। जिसके लिए यह वाद पत्र पेश है। वाद कारण हाल ही में उत्पन्न हुआ जब वादीगण द्वारा उक्त त्रृटि को दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी नं0 3 को प्रार्थना पत्र दिये जाने के बाद भी उक्त त्रुटि का संशोधन नही किये जाने से उत्पन्न हुआ है जो निरन्तर जारी है।

प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से पेरोकार सरकार देवली द्वारा जवाब दावा पेश किया जो इस प्रकार हैः–बिन्दू संख्या 1 स्वीकार है। बिन्दू संख्या 2 पुराने रिकॉर्ड के अवलोकन से स्वीकार है। बिन्दू संख्या 3 न्यायालय से सम्बन्धित है। बिन्दू संख्या 4 अस्वीकार है। बिन्दू संख्या 5 वा 6 न्यायालय से सम्बन्धित है। विशेषः– समस्त सरकारी दस्तावेजो के आधार पर निर्णय करना उचित रहेगा।

प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने इकबालिया जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– वाद पत्र का चरण नं. 1 ता 4 स्वीकार है। वाद पत्र का चरण नं. 5 ता 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। वादीगण द्वारा चाही गई अधियाचना अ, ब स्वीकार है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पूर्वज वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपति नहीं हैं। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में मुझ प्रतिवादी को कोई आपति नहीं है। वादीगण का पारिवारिक सजरा इस प्रकार हैः–जगन्नाथ के तीन पुत्र छीतर, कल्याण व भूरा हुये जिनमें तीनों की मृत्यु हो चुकी है तथा छीतर का एकमात्र वारिस बालू है जिसकी मृत्यु हो चुकी है तथा छीतर का एकमात्र बावरिस बालू है जिसकी मृत्यु हो चुकी है जिसके वारिस दुर्गालाल व वादीगण 1 व 2 पुत्र व पत्नी किशनी देवी है जिसके वारिस वादीगण 4 ता 8 है तथा कल्याण की वारिस गंगा हे जिसने अपने हिस्से की भूमि को प्रतिवादी नम्बर 1 को विकय कर दी है तथा भूरा के वारिस प्रतिवादी नम्बर 2 व भूली व झमकु पुत्रियां है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। अतः जवाब

दावा पेश कर निवेदन है कि वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर रांजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पूर्वज का नाम गीला पुत्र जगन्नाथ के बजाय छीतर पुत्र जगन्नाथ दर्ज कर दिया जावे इसमें हम प्रतिवादीगण को कोई आपति नहीं है।

प्रतिवादीगण का जवाब विरोधस्वरूप नहीं होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई।

वादी ने साक्ष्य शपथ पत्र पी. डब्ल्यू–1 बाबूलाल पुत्र बालू जाति लोधा उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली का पेश किया। वादी ने प्रदर्श करवाये जो इस प्रकार हैः– जमाबन्दी सम्वत 2057–60 प्रदर्श–2 जमाबन्दी सम्वत 2057–60 प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत 2058–61 प्रदर्श–4 जमाबन्दी सम्वत 2073–76 प्रदर्श–5, 6 व 7 मिलान क्षैत्रफल 2046–65 प्रदर्श–8,9 ,10, 11 व 12 जमाबन्दी सम्वत 2046, 2013, 2070–73 है।

वादी द्वारा और अधिक साक्ष्य नहीं कराये जाने से साक्ष्यवादी बन्द की गई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता वादी ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए वाद स्वीकार कर डिक्री करने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1 व 2 जमाबन्दी सम्वत 2057–60 वाके ग्राम लाखोलाई के कालम संख्या 4 में छीतर पि0 जगन्नाथ दर्ज है। प्रदर्श–4, 5 गीला पुत्र जगन्नाथ दर्ज रिकॉर्ड हैं। अन्य जमाबन्दी सम्वत 2070–73 वाके ग्राम देवीखेड़ा प्रदर्श–10 व जमाबन्दी सम्वत 2073–76 वाके ग्राम राजमहल प्रदर्श–11 बालूराम पुत्र छाउ पत्नी स्व छीतर लोधा दर्ज रिकॉर्ड है। पूर्व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार व वर्तमान अन्य स्थान के रिकॉर्ड अनुसार वादीगण के पूर्वज का नाम छीतर दर्ज रिकॉर्ड है परन्तु प्रतीत होता है कि सेटलमेन्ट के समय सेटलमेन्ट कार्मिको ने बिना पुछताछ व जानकारी किये बिना ही छीतर के स्थान पर गीला पुत्र जगन्नाथ दर्ज रिकॉर्ड कर दिया। इस सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के जवाब व साक्ष्य में गीला पुत्र जगन्नाथ के स्थान छीतर पुत्र जगन्नाथ के नाम की ताईदी की है। रिकॉर्ड अनुसार वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 394 कुल किता 7 कुल रकबा 1.29 है0 में दर्ज गीला पुत्र जगन्नाथ को अपास्त किया जाता है और गीला पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर छीतर पुत्र जगन्नाथ दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने की घोषणा की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

4/2019 उनवान राधेश्याम बनाम रामनारायण
दि:–11.03.2022

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...मुकाम देवली व अलजाम श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक ....

उनवानी दावा :

1. राधेश्याम पुत्र बालू जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. बाबूलाल पुत्र बालू जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. किशनी देवी पत्नि बालू जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. रूपनारायण पुत्र दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
5. कमलेश पुत्र दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
6. माया पुत्री दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
7. सुगना पत्नि दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
8. ममता पुत्री दुर्गालाल जाति लोधा निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0

–वादीगण–

बनाम

1. रामनारायण पुत्र नन्दराम जाति लोधा उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. श्योजी पुत्र भूरा जाति लोधा उम्र बालिग निवासी राजमहल तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक राज0

– प्रतिवादीगण–

<u>वाद बाबत दुरूस्ती इन्द्राज</u>
मुकदमा नं. 54 सन् 2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री भारत भूषण गोयल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री राजेश जैन अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू इकबालिया जवाब प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 2 व पेरोकार सरकार मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

वाके ग्राम राजमहल तहसील देवली की जमाबन्दी सम्वत 2073–76 के खाता संख्या 394 कुल किता 7 कुल रकबा 1.29 है0 में दर्ज गीला पुत्र जगन्नाथ को अपास्त किया जाता है और गीला पुत्र जगन्नाथ के स्थान पर छीतर पुत्र जगन्नाथ दर्ज राजस्व रिकॉर्ड करने की घोषणा की जाती है।

6).1.22

4/2019 उनवान राधेश्यामं बनाम रामनारायण
फ़:-11.03.2022

जी...मुवलिक..बाबत् ....
......................खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।
बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 03 सन् 2022 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर

ओहदा ....

मुददई	रू.	पै.	मुददायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए